भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न सं0: 1068

दिनांक: 29 जुलाई, 2015

**तेल कुओं में आग की घटनाएं**

**1068. श्रीमती कनक लता सिंहः**

**श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूरत जिले के अंकलेश्वर घाटी में ओलपैड कस्बे के पास ओएनजीसी के कुएं में आग लगने के बाद अब तक कितनी दुर्घटनाएं घटी हैं और दुर्घटनाओं के घटने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ये दुर्घटनाएं सुरक्षा मानकों के ठीक से पालन में लापरवाही और अनुभवहीनता के कारण घट रही हैं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के घटित होने के उपरांत क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंध्ी तथ्यात्मक स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

(क): जियो एन्‍प्रो पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा प्रचालित खरसांग क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) के एक कूप केएसजी#60 से गैस रिसाव की एक घटना दिनांक 30.6.2015 को हुई थी। तथापि, इससे आग नहीं लगी और दिनांक 12.7.2015 को इस पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया था। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), द्वारा की जांच के अनुसार इस घटना का कारण फिशिंग प्रचालनों के दौरान कूप का स्‍थिरीकरण नहीं किया जाना था।

(ख): ओआईएसडी के अनुसार कोई अपराध सिद्ध नहीं हो सका है।

(ग): जांच रिपोर्ट के आधार पर ओल्‍पड घटना के मामले में मंत्रालय ने ओएनजीसी को निर्देश दिया था कि वह अपनी स्‍वास्‍थ्‍य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएससी) संबंधी बोर्ड की उप समिति को एचएससी के संगठनात्‍मक ढांचे की जांच करने, मानक प्रचालन प्रक्रिया, सुरक्षा जांच आदि की अनुपालना करने और बदलावों की सिफारिश करने को कहे।

खरसांग क्षेत्र में गैस रिसाव के मामले में ओआईएसडी ने मामले की जांच की है और प्रचालक को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं तथा उनकी अनुपालना करने का निर्देश दिया है।

\*\*\*